पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुमन कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2013 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 22079

22 जून, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या समाहर्ता द्वारा पारित आदेश सुस्पष्ट और वाजिब है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने और एकीकृत बाल विकास योजना, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से एक कारणयुक्त एवं वक्तव्यात्मक आदेश है। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र का संचालन नहीं कर रही थी और उसने गंभीर लापरवाही की, जिसके कारण उसकी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन की निरस्तीकरण आवश्यक था । (पैरा 9)

याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 14)

न्याय दृष्टान्त

सज्जन देवी बनाम बिहार राज्य, **2004 (2) पी.एल.जे.आर. 833**; बबीता कुमारी बनाम बिहार राज्य, **2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 9434**; नीतू कुमारी बनाम बिहार राज्य, **2011 (4) पी.एल.जे.आर. 20**; मेहिन निगार बेगम बनाम बिहार राज्य, **2023 (1) पी.एल.जे.आर. 323**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान – अनुच्छेद 311; एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के दिशा-निर्देश

मुख्य शब्दों की सूची

आंगनबाड़ी सेविका; सेवा समाप्ति; प्राकृतिक न्याय; अस्पष्ट आदेश; आई.सी.डी.एस.; निरीक्षण रिपोर्ट; संविदात्मक नियुक्ति; अनुच्छेद 311; मानदेय; अपील खारिज

प्रकरण से उत्पन्न

आंगनबाड़ी सेविका के रूप में वादिनी की नियुक्ति रद्द किए जाने तथा समाहर्ता, सुपौल द्वारा अपील खारिज किए जाने से उत्पन्न वाद।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री उमाशंकर सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से: श्री अनुज कुमार, सहायक अधिवक्ता, सरकारी पक्षकार-24

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2013 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 22079

==

सुमन कुमारी, पति - श्री विजय कुमार चौधरी, निवासी- गाँव- थुमहा, थाना- पिपारा, जिला- सुपौल

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) बिहार, पटना।

4. आयुक्त, कोशी प्रभाग, सहरसा।

5. समाहर्ता, सुपौल।

6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुपौल।

7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, पिपरा, जिला-सुपौल।

... ...उत्तरदाता/ओं

==

उपस्तिथि :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उमा शंकर सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अनुज कुमार, जी पी 24 के ए सी

==

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख : 22-06-2023

1. वर्तमान रिट याचिका जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुपौल अर्थात उत्तरदाता संख्या 6 द्वारा पारित दिनांक 27.08.2012 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता का केंद्र संख्या 09, मुसहरी टोला, थुमहा, प्रखंड-पिपरा, जिला-सुपौल में *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में चयन रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अपील वाद संख्या 25/2013 में समाहर्ता, सुपौल द्वारा पारित दिनांक 14.08.2013 के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज रही है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता केंद्र संख्या 09, मुसहरी टोला, थुम्हा, ब्लॉक-पिपरा, जिला-सुपौल, में *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में काम कर रही थी, उन्हें दिनांकित 24.07.2012 का एक पत्र दिया गया था, जिसमें उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के संबंध में उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता अधिकारियों के समक्ष पेश हुई तथा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, हालाँकि, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुपौल ने अपने दिनांकित 27.08.2012 के आदेश द्वारा *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में याचिकाकर्ता के चयन को रद्द कर दिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर करके इसे चुनौती दी थी जिसे अपील संख्या 44/2012 के रूप में दर्ज किया गया था। हालाँकि, इसे भी विद्वान समाहर्ता, सुपौल द्वारा दिनांकित 16.10.2012 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2777/2013 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुपौल द्वारा पारित 27.08.2012 के उपरोक्त आदेश और 16.10.2012 के अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 08.02.2013 के एक आदेश द्वारा, यद्यपि उत्तरदाता संख्या 6 द्वारा पारित 27.08.2012 के मूल आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन 16.10.2012 के अपीलीय आदेश को एक गूढ और अस्पष्ट आदेश माना था, इसलिए, उसे रद्द कर दिया था और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए समाहर्ता, सुपौल को वापस भेज दिया था। इसके बाद, विद्वान समाहर्ता, सुपौल द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया और फिर विद्वान समाहर्ता, सुपौल द्वारा दिनांक 14.08.2013 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान समाहर्ता, सुपौल ने फिर से एक गुप्त तथा गैर-भाषी आदेश पारित किया है, इसलिए यह विधि में बुरा है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की विद्वान खंड पीठ द्वारा ***2023 (1) पीएलजेआर 323 (मेहिन निगार बेगम बनाम बिहार राज्य)*** मे दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि सेवा से हटाने का आदेश पारित करने से पहले एक औपचारिक जांच की आवश्यकता है तथा इस आधार पर भी, विवादित आदेश विधि की नजर में खराब हैं।

5. *इसके विपरीत*, उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरदाता सं.1 द्वारा पारित दिनांक 27.08.2012 के मूल आदेश का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि उत्तरवादी सं.6 द्वारा निरीक्षण के समय गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया गया था जिन्हें आदेश दिनांक 27.08.2012 से लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> *" पिपरा परियोजना के केन्द्र कोड-09 मुसहरी टोला, थुमहा पर केन्द्र संचालन में अनियमितता के संबंध में दिनांक 04.08.2012 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुनवाई की गयी। उक्त केन्द्र पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा स्वयं दिनांक 06.07.2012 को निरिक्षण किया गया, आं0 केन्द्र पर चौकी, मवेशी एवं चारा रखा हुआ था। केन्द्र पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1064/प्रो0, दिनांक 24.07.2011 द्वारा सेविका सुमन कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। दिनांक 28.07.2012 को उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। लेकिन उक्त तिथि को सुनवाई में*

उपस्थित न होकर दिनांक 04.08.2012 को सुनवाई में श्रीमती सुमन कुमारी उपस्थित हुई। दिनांक 06.07.2012 को 11.30 बजे प्रश्नगत केन्द्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय केन्द्र पर मात्र 04 बच्चे उपस्थित पाये गये जिनमें एक बच्चा गैर नामांकित था,केन्द्र एक बड़ा बरामदा में था, जिसमें केन्द्र के फ़्लेक्सी, मीनू आदि के साथ चौकी, मवेशी एवं चारा रखा हुआ था, जिससे लग रहा था कि केन्द्र स्थल बरामदे के मालिक द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। 04 बच्चे बाहर खुले मैदान में बैठे थे। सहायिका द्वारा पोषाहार बनाने की तैयारी की जा रही थी। यह केन्द्र मुसहरी टोला के नाम पर है और केन्द्र स्थल से थोड़ी दूरी पर मुशहरी टोला स्थित है, लेकिन केन्द्र पर इस समुदाय के एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे, सेविका से इस संबंध में पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः सेविका से यह पूछने पर कि केन्द्र में इस महादलित की कितनी संख्या और कितने लाभार्थी है, सेविका द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। केन्द्र पर करीब आधा घंटा रहने के बाद भी 04 बच्चों के अलावे एक भी बच्चे नहीं आये। सेविका को और बच्चों को बुलाने के लिए कहा गया लेकिन वह बच्चों को बुला न सकी।पोषाहार का निरिक्षण करने पर 1.500 कि0 ग्राम से 2.00 कि0 ग्राम

चावल एवं 400 ग्राम चना का पुलाव बनाया जा रहा था। इस तरह विभागीय निर्देश है कि पोषाहार पूरी मात्रा में बनाया जायेगा,का पालन नहीं किया जा रहा था साथ ही केन्द्र के बाहर प्रमुखता से नाम पट्ट नहीं टांगा गया था।''

6. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी एकीकृत बाल विकास योजना, बिहार, पटना द्वारा दिनांकित 20.06.2012 तथा 14.03.2012 पत्रों के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" कंडिका (2) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय ;(पत्र दिनांकित 20.06.2012) :-

केन्द्र संचालन की निर्धारित अवधि में किसी भी समय आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या बिना पर्याप्त कारण के चौदह या चौदह से कम पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस केन्द्र की सेविका को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

पत्र सं 14.03 .2012

जाँच के क्रम में किसी केन्द्र पर नाम पट्ट तथा लाभुकों को दिये जाने वाली सामग्री की मात्रा का प्रमुखता से प्रदर्शन यदि नहीं पाया जाता है तो इसके लिए सेविका को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

7. उत्तरदाता हेतु विद्वान अधिवक्ता-राज्य ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी नं 6 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विधिवत विचार किया था तथा केवल तभी, दिनांकित 27.08.2012 का आदेश पारित किया था, जैसा कि उत्तरदातासंख्या 6 द्वारा किए गए विचार से स्पष्ट है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत हैः-

> *" दिनांक 04.08.2012 को सुनवाई में सेविका द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। केन्द्र संचालन की स्थिति, लाभार्थी वर्ग (मुसहरी टोला का) का केन्द्र जुड़ाव नहीं होना एवं सेविका द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं जन प्रतिनिधियों के आवेदन में काफी विरोधाभास पाया गया। एक तरफ केन्द्र निरीक्षण में केन्द्र संचालन की स्थिति दयनीय पायी गयी और दूसरे तरफ सेविका द्वारा अपने बचाव में मनगढ़ंत तथ्यों का सहारा लिया गया है जिस पर जनप्रतिनिधियों का भी सहमति लिया गया है तो दूसरी तरफ सेविका को भी पता नहीं है कि केन्द्र में महादलित की कितनी आबादी है और कितने लाभार्थी हैं। ये तथ्य सेविका की कार्यशैली एवं कार्य स्थिति को स्वतः दर्शाता है। अतः केन्द्र संचालन में अनियमितता स्वतः प्रमाणित होता है। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार, पटना के पत्रांक 2120, दिनांक 20.06.2012 के कंडिका 1(2) संशाधित कि केन्द्र संचालन की निर्धारित अवधि में किसी भी समय आं0 केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों की*

संख्या बिना पर्याप्त कारण के चौदह या चौदह से कम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस केन्द्र की सेविका का चयन रद्द किया जायेगा। पुनः निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार,पटना के पत्रांक 956, दिनांक 14.03.2012 के कंडिका 04 के अनुसार किसी केन्द्र पर नामपट्ट नहीं पाये जाने पर सेविका का चयन रद्द करने की कार्रवाई की जाय। अतः उक्त के आलोक में सुमन कुमारी सेविका केन्द्र-मुसहरी टोला थुम्हा केन्द्र संख्या- 09 का चयन रद्द किया जाता है। पोषाहार की मात्रा जितनी खर्च नहीं किया गया है कि राशि विगत छः माह की वसूली का आदेश दिया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगी। साथ ही बगल के केन्द्र से Tag कर केन्द्र का संचालन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे एवं केंद्र पर सेविका चयन की कार्रवाई प्रारम्भ करेंगी। चयनमुक्त सेविका श्रीमती सुमन कुमारी पारित चयनमुक्ति आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के न्यायालय में आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकती है।

8. उत्तरदाता राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 27.08.2012 के मूल आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता का *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में चयन रद्द कर दिया गया था, में मुकदमे के पहले के दौर में हस्तक्षेप नहीं किया गया था, अर्थात सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2777/2013, अतःइस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 08.02.2013 के आदेश द्वारा पुष्टि किया गया है और केवल 16.10.2012 के अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप किया गया है, क्योंकि उसे अपास्त कर दिया गया था और मामले को पुनर्विचार के लिए सुपौल के विद्वान समाहर्ता को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दिनांक 14.08.2013 को एक विस्तृत, तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया है, जैसा कि उसके अवलोकन से ही स्पष्ट होगा, अतः, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता/ओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है, अतः इस न्यायालय को उत्तरदाता प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील करने की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया। इस न्यायालय ने पाया कि उत्तरवादी नं 6 ने दिनांक 27.08.2012 का एक आदेश पारित किया है, तथा जिसके तहत याचिकाकर्ता का *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में चयन उसमें उल्लिखित आधारों पर रद्द कर दिया गया है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष सी.डब्लू.जे.सी. 2777/2013 वाली रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। तथापि, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने दिनांक 08.02.2013 के आदेश के माध्यम से इसे अलग रखने से परहेज किया था, इसलिए, इसकी पुष्टि की गई थी, इस प्रकार, जहां तक उत्तरवादी सं.6 के द्वारा पारित दिनांकित 27.08.2012 के आदेश, का संबंध है, इसके लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब, सुपौल के विद्वान समाहर्ता द्वारा रिमांड पर पारित दिनांक 14.08.2013 के वर्तमान आदेश पर आते हैं, इस न्यायालय का मानना है कि यह आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का

उचित अवसर प्रदान करने और एकीकृत बाल विकास योजना, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है, जैसा कि दिनांक 20.06.2012 और 14.03.2012 के पत्रों में निहित है, इसलिए, दिनांक 14.08.2013 के उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है, जो कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश है, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र का संचालन नहीं कर रही थी और उसने घोर लापरवाही बरती थी, जिसके कारण *आंगनवाड़ी सेविका* के रूप में उसका चयन रद्द किया जाना उचित था।

10. इस मोड़ पर, इस न्यायालय की एक विद्वत खंड पीठ द्वारा **2004 (2) पीएलजेआर 833 (सज्जन देवी बनाम बिहार राज्य)** में सूचित,दिया गया एक निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, अनुछेद सं 11 से 16 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः-

> *"(11) विचार किए जाने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति सरकारी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति है।यदि उनकी नियुक्तियाँ सरकारी सेवा में पदों पर हैं तथा उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्त किया गया है, तो उस मामले में नियमों के तहत दी गई विभागीय जांच के बिना कदाचार के आधार पर उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि वे सरकारी सेवा में किसी पद पर नहीं हैं तथा उनकी नियुक्तियां किसी योजना के तहत सेवा के अनुबंध के आधार पर हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता के अनुरूप प्रक्रिया का*

पालन करने के पश्चात् समझौते के संदर्भ में उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

(12) यह योजना ऊपर बताए गए योजना के दायरे में आने वाले गरीबों तथा दलित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। केवल साक्षात्कार आयोजित करके नियुक्ति की जाती है तथा न तो वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा न ही सरकारी सेवा में किसी भी पद के लिए नियुक्ति की जा रही है। मानदेय का भुगतान एक विशेष अवधि हेतु कर्तव्यों का पालन करने हेतु किया जाता है। यदि उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें आंगनवाड़ी सेविका के पद से हटाया जा सकता है।नियुक्ति की अवधि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे न तो सरकारी सेवा में लगे हुए हैं और न ही उनके पास कोई पद है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण प्राप्त है। यदि यह पाया जाता है कि वे उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन हेतु वे लगे हुए थे, तो नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उन्हें हटाया जा सकता है। वे अपने विघटन से पहले नियमित विभागीय जांच शुरू करने का दावा नहीं कर सकते हैं।

(13) इस प्रकार, आंगनवाड़ी सेविका का पद सरकारी सेवा में एक पद नहीं है तथा इस प्रकार निजी उत्तरवादी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं।

(14) अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार निरीक्षण किए गए तथा निजी उत्तरवादी अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए गए। यह भी पाया गया कि सेवा पर रहते हुए, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जिस हेतु वे लगे हुए थे तथा उसके बाद, उन्हें कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए तथा उन्होंने कोई कारण न बताया तथा उसके बाद, उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया।

(15) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता का पालन किया गया है तथा चूंकि वे सरकारी सेवा में नहीं हैं, इसलिए वे विघटन या हटाने से पहले उपरोक्त अधिनियम को दुराचार के रूप में मानते हुए नियमित कार्यवाही का दावा नहीं कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यह भी माना जाता है कि वे सरकारी सेवा में अस्थायी रोजगार पर थे, तो यह भी पाया जाता है कि अधिकारियों ने अपने पिछले आचरण को एक उद्देश्य के रूप में ध्यान में रखते हुए तथा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया है तथा इस तरह वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के

आधार पर अपने विघटन में किसी भी कमजोरी का दावा नहीं कर सकते हैं।

(16) इस प्रकार, आंगनवाड़ी सेविका के रूप में निजी उत्तरवादियों की नियुक्ति को रद्द करने वाले अधिकारियों द्वारा पारित 13.2.1989 तथा 18.2.1989 दिनांकित आदेश, जिन्होंने आंगनवाड़ी सेविका के रूप में अपनी नियुक्ति को रद्द करने को चुनौती देते हुए सी.डब्लू.जे.सी.संख्या 290/1991 दायर किया था, उन्हें वैध आदेश माना जाता है तथा वे किसी भी अनियमितता से पीड़ित नहीं हैं तथा तदनुसार, निजी उत्तरवादियों द्वारा दायर सी.डब्लू.जे.सी.संख्या 290/1991 खारिज कर दिया जाता है।

11. यह न्यायालय अब इसे उचित तथा योग्य समझेगा कि विद्वान खंड पीठ द्वारा ***बबीता कुमारी बनाम बिहार राज्य तथा अन्य*** के मामले में, ***2016 में एस सी सी ऑनलाइन पैट 9434***,दिए गए निर्णय को संदर्भित करें, अनुछेद सं 7 तथा 8 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः-

"7. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप बहुत स्पष्ट थे जैसा कि दिनांक 22.02.2012 से स्पष्ट होगा, जो इसके आलोक में जारी

किया गया था जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज/रजिस्टर जिन्हें केंद्र में बनाए रखने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी द्वारा दिया गया उत्तर, जिसकी प्रति अभिलेख पर लाई गई है, किसी भी औचित्य का संकेत नहीं देता है तथा बल्कि यह कहा गया है कि निरीक्षण के समय 24.09.2011 को,बच्चे तब भी आ रहे थे तथा 07.10.2011 को ,वह खुद बच्चों को बुलाने गई थी तथा उस दौरान निरीक्षण किया गया था। अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि 30.09.2011 को वह बारिश से भीगने के कारण बीमार हो गई थी। हम पाते हैं कि इस तरह की व्याख्या अस्पष्ट है तथा आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है।आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने की भावना तथा उद्देश्य पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है तथा इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले तथा वंचित वर्ग के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उक्त योजना के निष्पादन में किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक दिन भी बंद रहने पर लाभार्थियों को अपने भोजन के बिना रहना पड़ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार,हम उनके चयन को रद्द करने वाले अधिकारियों के निर्णय के साथ-साथ ऐसा आदेश पारित करने से

पहले उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

8. उपरोक्त कारणों से,लेटर्स पेटेंट अपील, योग्यता से रहित होने के कारण,खारिज कर दी जाती है।"

12. इस न्यायालय की विद्वान खंड पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया ***नीतू कुमारी बनाम बिहार राज्य तथा अन्य,2011 (4) पी. एल. जे. आर. 20,*** मामले में एक और निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, अनुच्छेद सं. 4 तथा 5 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः—

"4. हमारे विचार में, आंगनवाड़ी सेविका का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत कार्यकाल या संरक्षण की सुरक्षा वाला पद नहीं है। नियुक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो मानदेय प्रदान करता है, हमारा विचार है कि यदि अपीलार्थी अभी भी व्यथित महसूस करता है, तो वह हर्जाने हेतु दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। इस तरह की योजना में मानदेय के अलावा कुछ भी दांव पर नहीं है। इस तरह के संविदात्मक अनुबंधों हेतु बहाली की अनुतोष उचित नहीं है तथा भले ही योजना या विधि हेतु किसी अन्य सिद्धांत का उल्लंघन हो, दावे की अनुमति आमतौर पर हर्जाने हेतु दी जानी चाहिए।

5. अपील ख़ारिज की जाती है।

13. अब, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***मेहिन निगार बेगम (ऊपर)*** मामले में दिए गए निर्णय पर आते हैं, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि 27.08.2012 के मूल आदेश की पुष्टि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा मुकदमेबाजी के पहले दौर में पहले ही कर दी गई है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।